

बंगलौर 22

वकील उग्रयपक्ष उप. | वकील अपीलान्त  
के निवेदन कि | अपीलान्त व रेलपोस्ट  
के मध्य राजीनामा ही चुका है। अतः  
उक्त अपील अरिधे विद्गे खारिज  
फरमाई जाय।

वकील अपीलान्त के निवेदन पर अपील  
अरिधे विद्गे खारिज की जाती है।

पत्रावली केसल सुमार होकर बाह्य आवश्यक  
कार्यवाही दखिल दफतार हो।

2  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
माली